प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

आदेश पत्रक

दांडिक अपील क्र. 1502 / 1999

खंड न्यायपीठ

माननीय न्यायाधीश श्री एल. सी. भादू

माननीय न्यायाधीश श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

23–2–2006

श्री शैलेन्द्र दुबे, अपीलार्थी क्र. 1 के ओर से अधिवक्ता।

श्री आर. के. जैन, अपीलार्थी क्र. 2 के ओर से अधिवक्ता।

श्री यू.एन.एस देव , अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पीठ पर उच्चारित मौखिक निर्णय

द्वारा माननीय न्यायाधीश श्री एल. सी. भादू

इस अपील के माध्यम से, जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने दिनांक 1 मई 1999 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 210/96 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश की वैधता एवं सटीकता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 325 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध कारित करना सिद्ध पाते हुए, प्रत्येक को क्रमशः आजीवन कारावास एवं एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है। यह भी निर्देशित किया गया कि दोनो सज़ाएं एकसाथ चलेंगे।

अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मनसाय (अ. सा –1) ने दिनांक 14–06–1996 को रात्रि 22:30 बजे थाना बागबाहरा में मर्ग सूचना (प्रदर्श–पी–2) इस आशय की दर्ज कराई कि उसके और सुखराम के बीच भूमि विवाद चल रहा था। उसी दिन सुखराम अपने खेत

जबलपुर उच्च न्यायालय

दांडिक अपील क्र. 1502 / 1999

अपीलकर्ता अभियुक्त — 1) गणेश राम आ. सुखराम, उम्र ३८ वर्ष निवासी बिरिम देगा

2) बुद्धनाथ आ. सुखराम, उम्र २३ वर्ष निवासी गॉव बिरिम डेंगा, थाना बाग बहार जिला रायगढ़ (म. प्र.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण — मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा, थाना प्रभारी, पुलिस थाना बाग बहार जिला रायगढ़ (म. प्र.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दोषसिद्धि	दंडादेश
अंतर्गत धारा 302 एवं 325 सहपठित 34 भा.द.स.	आजीवन कारावास के साथ 1 वर्ष का सश्रम कारावास संचयी.

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता।

में धान की बोआई कर रहा था। अतः यह सोचकर कि वह उसके खेत में हल न चलाए, वह खेत देखने गया और उसे धान न बोने को कहा, जिस पर गणेश, बूना, अग्नि एवं सुखराम ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला करना प्रारंभ कर दिया। भगतराम, सोभा एवं हीरालाल बीच–बचाव करने आए। गणेश राम ने हीरालाल पर टांगी से उसके दाहिने स्कैपुलर भाग पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रभारी बी.एल. केहरी (अ.सा.–10) ने धारा 302 एवं 323 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया (प्रदर्श–पी–1) तथा घायल व्यक्तियों –– मनसाय, शोभाराम एवं भगतराम को उनको आई चोटों के परीक्षण हेतु सिविल डिस्पेंसरी, बाग बहार भेजा। डॉ. के.डी. पासवान (अ.सा–4) ने उनका परीक्षण कर मनसाय की चोट संबंधी रिपोर्ट प्रदर्श–पी–3, शोभाराम की प्रदर्श–पी–4 एवं भगतराम की प्रदर्श–पी–5 तैयार की, तथा कुछ चोटों के लिए एक्स–रे करवाने की सलाह दी गई। एक्स–रे प्राप्त होने के पश्चात यह पाया गया कि तीनों को अस्थिभंग की चोटें आई हैं, जिसके आधार पर मनसाय के संबंध में प्रदर्श–पी–6, शोभाराम के संबंध में प्रदर्श–पी–7 एवं भगतराम के संबंध में प्रदर्श–पी–8 के रूप में अस्थिभंग रिपोर्ट तैयार की गई। पंचों को नोटिस (प्रदर्श–पी–20) दिया गया और उसके पश्चात हीरालाल के शव का पंचनामा (प्रदर्श–पी–21) तैयार किया गया। घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी तथा साधारण मिट्टी को जप्त किया गया, जिसकी जप्ती रिपोर्ट प्रदर्श–पी–9 के तहत तैयार की गई। पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी गणेश राम ने टांगी, जो कि घटना में प्रयुक्त हथियार थी, के संबंध में प्रदर्श–पी–10 के तहत ममोरेंडम कथन दिया और उसके कथन के आधार पर टांगी को प्रदर्श–पी–11 के तहत बरामद किया गया। आरोपी बुधनाथ ने प्रदर्श–पी–12 के तहत ममोरेंडम कथन दिया और उसके कथन के आधार पर बांस की लाठी को प्रदर्श–पी–13 के तहत बरामद किया गया। पटवारी रघुनाथ राम द्वारा घटना स्थल का स्थल मानचित्र (साईट प्लान) प्रदर्श–पी–15 तैयार किया गया। मृतक हीरालाल के शव को पोस्टमार्टम हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पत्थलगांव भेजा गया, जिसके लिए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रेषण पत्र प्रदर्श–पी–16ए के माध्यम से भेजा गया, जहां डॉ. जे. मिंज ने हीरालाल का पोस्टमार्टम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–पी–16 तैयार की। घटना स्थल का स्थल मानचित्र (प्रदर्श–पी–18) बी.एल. केहरी द्वारा तैयार किया गया। मृतक के कपड़ों को प्रदर्श–पी–19 के तहत जप्त किया गया।

विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, अभियोग–पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमजयगढ़ की न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 325 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध कारित किए जाने के आरोप में आरोपियों गणेश राम, बुधनाथ, सुखराम एवं अग्निबाई के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जहां से उक्त प्रकरण सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को विचारण हेतु उपार्पित किया गया। तत्पश्चात्, उक्त प्रकरण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की न्यायालय में स्थानांतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप सिद्ध करने हेतु कुल 11 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। दूसरी ओर, आरोपियों के धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन लिए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन के साक्ष्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया की वे निर्दोष हैं तथा अपने पक्ष में एक साक्षी शुकुल (ब.सा.–1) को परीक्षण कराया। प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष के विरुद्ध दर्ज जवाबी प्रकरण की अभियोगपत्र एवं संबंधित दस्तावेज (प्रदर्श–डी–1 से डी–5) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए एवं आरोपियों द्वारा दर्ज रिपोर्ट संबंधी रोजनामचा रिपोर्ट (प्रदर्श–डी–6) भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अभियुक्तों के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के पश्चात्, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी गणेश राम एवं बुधनाथ को इस निर्णय के पैरा–1 में उल्लेखित अपराधों में दोषी पाते हुए दंडित किया, जबकि आरोपी सुखराम एवं अग्निबाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 325 सहपठित धारा 34 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

हमने अपीलकर्ता क्र.1 गणेश राम की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र दुबे; अपीलकर्ता क्र.2 बुधनाथ की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. जैन; तथा श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक व श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यवादी की ओर से, को सुना।

हीरालाल की हत्यात्मक मृत्यु विवादित नहीं है। इसी प्रकार, सोभाराम, मनसाय एवं भगतराम को उक्त घटना में आई चोटें भी विवादित नहीं हैं।

विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र दुबे, अपीलकर्ता गणेश राम की ओर से ने यह तर्क किया की विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की इस अभिवाक को अस्वीकार कर विधिक त्रुटि की है कि सुखराम, अन्य सह–आरोपियों के साथ, अपने खेत में उपस्थित थे, जब मनसाय एवं अन्य लोग वहाँ आए और उनसे झगड़ा करने लगे, और उन्हें खेत में कृषि कार्य करने से रोकने लगे और शिकायतकर्ता पक्ष ही आक्रांता था। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, आरोपियों ने अपने बचाव में हीरालाल एवं अन्य को चोटें पहुँचाई होंगी, किंतु यह कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया। अतः आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 325 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अनुचित तरीके से दोषसिद्ध ठहराया गया है। उन्होंने आगे तर्क किया कि स्वयं आरोपी पक्ष को भी चोटें आई थीं, जिनकी कोई व्याख्या नहीं की गई। सुखराम को गंभीर रूप से अस्थिभंग की चोट आई थी तथा अग्निबाई, गणेश राम एवं बुधनाथ को भी चोटें आई थीं। इस संबंध में शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध पृथक अभियोग पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमजयगढ़ के न्यायालय में लंबित है। आरोपी पक्ष को प्राप्त चोटों की रिपोर्ट के साथ–साथ शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोग पत्र की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो कि दस्तावेज प्रदर्श डी–1 है और इस संबंध में रिपोर्ट थाना बागबहार में दर्ज की गई थी, जो प्रदर्श डी –6 रोजनामचा रिपोर्ट से स्पष्ट है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. जैन, अपीलकर्ता क्रमांक 2 बुधनाथ की ओर से यह तर्क किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं होता कि आरोपी किसी भी प्रकार से घटना में संलिप्त था अथवा उसने शिकायतकर्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति पर लाठी से प्रहार किया था। यहां तक कि मनसाय द्वारा दी गई मर्ग सूचना में भी अपीलकर्ता बुधनाथ के विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य आरोपित नहीं किया गया है। अतः उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 325 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अनुचित रीति से दोषसिद् ठहराया गया है।

दूसरी ओर, श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक, श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता के साथ, ने माननीय विचारण न्यायालये के निर्णय का समर्थन किया।

'प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार' परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 यह प्रतिवादित करती है कि यदि कोई कृत्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया है, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के विषय से संबंधित है। यह अधिकार न केवल उसे प्राप्त है जो इसका प्रयोग करता है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी

है। यह अधिकार शरीर के विरुद्ध किए गए अपराधों के साथ–साथ चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अतिचार एवं ऐसे अपराधों के प्रयासों की स्थिति में संपत्ति की रक्षा हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है। धारा 96 एवं 98 कुछ अपराधों और कृत्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती हैं, जबकि धारा 99 इस अधिकार की सीमाएं निर्धारित करती है। धारा 96 से 98 तथा 100 से 106 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार धारा 99 द्वारा नियंत्रित किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के अनुसार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी भी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा के उद्देश्य हेतु जितनी क्षति की आवश्यक हो उससे अधिक क्षति पहुँचाने तक विस्तारित नहीं होता। धारा 100 यह प्रावधान करती है कि, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पिछली धारा में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, हमलावर की मृत्यु अथवा अन्य किसी हानि को स्वेच्छा से कारित करने तक विस्तारित हो सकता है, यदि वह अपराध जिससे यह अधिकार उत्पन्न हुआ हो, उस धारा में उल्लिखित श्रेणियों में आता हो। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: प्रथम —— ऐसा प्रहार, जिससे यह आशंका युक्तियुक्त रूप से उत्पन्न हो कि यदि प्रतिरक्षा नहीं की गई तो मृत्यु निश्चित रूप से परिणाम हो सकती है; द्वितीय —— ऐसा प्रहार, जिससे यह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो कि यदि प्रतिरक्षा नहीं की गई तो गंभीर उपहति परिणामस्वरूप हो सकती है। स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक विस्तारित प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए, आरोपी को यह प्रदर्शित करना आवश्यक होता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिससे यह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो सकती थी कि उसे या तो मृत्यु या गंभीर चोट पहुँच सकती थी। इस संबंध में भार आरोपी पर होता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भारतीय दंड संहिता की धारा 102 और 105 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट रक्षा के अधिकार की शुरुआत और उसकी निरंतरता से संबंधित हैं। यह अधिकार तब आरंभ होता है जब किसी अपराध को करने के प्रयास या धमकी से शरीर को खतरे की यथोचित आशंका उत्पन्न होती है, भले ही अपराध वास्तव में घटित न हुआ हो, परन्तु केवल उसी स्थिति में जब ऐसी यथोचित आशंका हो। दूसरे शब्दों में, यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक शरीर को खतरे की वह यथोचित आशंका बनी रहती है।

जहाँ तक संपत्ति की रक्षा के लिए मृत्यु कारित करने तक विस्तारित प्राइवेट रक्षा के अधिकार का प्रश्न है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 103 द्वारा शासित होता है। यह अधिकार तब उपलब्ध होता है जब जिस अपराध के कारण यह अधिकार प्रयोग में लाया गया है, वह या तो वास्तव में घटित

हुआ हो अथवा उसके घटित होने का प्रयास किया गया हो, और वह अपराध निम्नलिखित में से कोई एक हो: डकैती, रात्रौ गृहभेदन, किसी भवन में अग्नि द्वारा रिष्टि, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार।

धारा 104 में यह उपबंधित है कि धारा 103 में वर्णित अपराधों के संदर्भ में प्राइवेट रक्षा का अधिकार अपराधी को मृत्यु के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। धारा 105 संपत्ति की रक्षा के अधिकार की शुरुआत और उसकी निरंतरता से संबंधित है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 साबित करने का भार प्रतिवादी पर डालती है, जो आत्मरक्षा का अभिवाक करता है, और प्रमाण के अभाव मे न्यायालय के लिए उक्त अभिवाक की सत्यता या अन्यथा उपधारणा मुमकिन नहीं होगा। हालांकि प्रतिवादी को सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है; वह अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों से आवश्यक सामग्री प्राप्त कर अपनी बात प्रमाणित कर सकता है। वह अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उत्पन्न परिस्थितियों से भी अपने अभिवचन को प्रमाणित कर सकता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहां प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिवचन किया जाता है, वहां बचाव का कथन एक तर्कसंगत और संभावित संस्करण होना चाहिए, जिससे न्यायालय यह संतुष्ट हो सके कि आरोपी द्वारा की गई क्षति आवश्यक थी, या तो हमले को टालने के लिए, या फिर अपनी ओर से संभावित खतरे को पहले ही रोकने के लिए। आत्मरक्षा का पक्ष स्थापित करने का भार अभियुक्त पर होता है और यह भार अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उस कथन के पक्ष में संभावनाओं की प्रबलता दिखाकर निर्वहन किया जा सकता है।

ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 391 में प्रकाशित **सलीम जिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के प्रक्रण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है की:

> "यह सत्य है कि आत्मरक्षा का कथन स्थापित करने का अभियुक्त पर जो भार होता है, वह अभियोजन पक्ष पर अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने की अपेक्षा में उतना कठोर नहीं होता। अभियुक्त को यह कथन पूरी तरह से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के प्रतिपरीक्षण में आधार स्थापित करके, या अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर केवल संभावनाओं की प्रबलता द्वारा भी अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है।"

शरीर पर चोटों की संख्या से तय करना की आक्रांता कौन है सुरक्षित मानदंड नहीं हो सकता। यह कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि जहां कहीं अभियुक्त के शरीर पर चोटें हों, वहां यह मान लिया जाए कि उन्होंने आत्मरक्षा में चोटें पहुंचाई होंगी। बचाव पक्ष को यह भी स्थापित करना होता है कि अभियुक्त पर जो चोटें आईं, वे आत्मरक्षा के अधिकार की संभावना को प्रमाणित करती हैं। **ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 2263** में प्रकाशित **लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य** में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि :

> " प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिवचन केवल अनुमानों और अटकलबाजियों पर आधारित नहीं हो सकता। यह विचार करते समय कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आरोपी को उपलब्ध है या नहीं, यह सुसंगत नहीं है कि उसे हमलावर पर गंभीर या घातक चोट पहुंचाने का अवसर मिला था या नहीं। यह जानने के लिए कि क्या आरोपी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध था, संपूर्ण घटना की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक है और उसे उसके समुचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जिस क्षण शरीर के प्रति खतरे की युक्तियुक्त आशंका जैसे ही किसी प्रयास, या धमकी, या अपराध करने की मंशा उत्पन्न होती है, भले ही अपराध अभी तक घटित न हुआ हो, परंतु तब तक जब तक वह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न न हो। यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि शरीर के प्रति खतरे की वह युक्तियुक्त आशंका बनी रहती है। **ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 612** में प्रकाशित **जयदेव बनाम पंजाब राज्य** में यह निर्धारित किया गया है कि —— "जैसे ही युक्तियुक्त आशंका का कारण समाप्त हो जाता है और खतरा या तो नष्ट हो गया हो या टल गया हो, तब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का कोई अवसर नहीं रह जाता।"

प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक अत्यंत मूल्यवान अधिकार है, जो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और इसे संकीर्ण रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। **ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 1857** में प्रकाशित **विद्या सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य** में यह निर्धारित किया गया है कि ——

> "स्थिति का मूल्यांकन संबंधित अभियुक्त के दृष्टिकोण से, उस समय की उत्तेजना और भ्रम की स्थिति में किया जाना चाहिए, जब वह खतरे की

स्थिति से सामना कर रहा हो, न कि सूक्ष्म और पांडित्यपूर्ण जांच द्वारा। यह तय करते समय कि क्या परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक से अधिक बल प्रयोग हुआ, यह उचित नहीं होगा, जैसा कि इस माननीय न्यायालय ने कहा है, कि हम ऐसे परीक्षण अपनाएं जो न्यायालय में एक शांत वातावरण में स्वाभाविक रूप से अपनाए जाते हैं, या वह जो किसी पूर्ण रूप से शांत पर्यवेक्षक को आवश्यक प्रतीत होता हो। एक व्यक्ति जो अपने प्रति खतरे की युक्तियुक्त आशंका का सामना कर रहा है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी रक्षा को गणितीय सटीकता से इस प्रकार मापे कि केवल उतना ही बल प्रयोग करे जितना किसी सामान्य समय या सामान्य परिस्थिति में कोई व्यक्ति सोच सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 354 में प्रकाशित **सेकर उर्फ राजा शेकरण बनाम राज्य (पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु)** केप्रक्रण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि –

" यह तय करने के लिए की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है या नहीं, अभियुक्त को प्राप्त हुई चोटें, उसकी सुरक्षा के प्रति आसन्न खतरा, अभियुक्त द्वारा पहुँचाई गई चोटें, तथा अभियुक्त के पास क्या कोई अवसर था कि वह लोक प्राधिकारियों की शरण ले सके – ये सभी परिस्थितियाँ सुसंगत मानी जाएँगी।"

ए.आई.आर. 2003 एस.सी.डब्लू. 4566 में प्रकाशित **लक्ष्मण सिंह बनाम पूनम सिंह एवं अन्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि –

"जहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दावा किया गया है, वहाँ बचाव एक ऐसा तर्कसंगत और संभाव्य संस्करण होना चाहिए जिससे न्यायालय संतुष्ट हो सके कि अभियुक्त द्वारा पहुँचाया गया नुकसान या तो आक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक था अथवा अभियुक्त की ओर से और आगे संभावित खतरे को टालने हेतु। आत्मरक्षा का दावा करने का भार अभियुक्त पर होता है और यह

> भार अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर संभावनाओं के पलड़े को अपने पक्ष में झुका कर पूरा किया जा सकता है।"

जब अभियुक्त स्वयं आक्रामक पक्ष होता है, तब प्राइवेट रक्षा का अधिकार नहीं लिया जा सकता। **ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1316** में प्रकाशित **बुट्टा सिंह बनाम पंजाब राज्य**, में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है की:

> "कोई व्यक्ति जो मृत्यु या शारीरिक क्षति की आशंका में हो, वह उस क्षण की उत्तेजना और परिस्थितियों की गर्मी में हमलावरों को निहत्था करने के लिए आवश्यक चोटों की संख्या को सुनहरे तराजू में तौल कर नहीं देख सकता। उत्तेजित अवस्था और मानसिक संतुलन के बिगड़ने की स्थिति में यह अपेक्षा करना कठिन है कि व्यक्ति पूरी संयमिता के साथ केवल उतना ही बल प्रयोग करेगा जो बिल्कुल आवश्यक हो। जब आक्रमण आसन्न हो और बल प्रयोग द्वारा उसे रोका जा सकता हो, तो आत्मरक्षा में बल प्रयोग करना वैध होता है और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तभी शुरू हो जाता है जब खतरा इतना आसन्न हो जाए। ऐसी परिस्थितियों का मूल्यांकन व्यावहारिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, न कि उच्च–संवेदनशील दृष्टिकोण या सूक्ष्मदर्शी से मामूली अतिक्रमण ढूँढने के प्रयास से। जो कुछ घटनास्थल पर क्षण भर में होता है, उसे सामान्य मानवीय व्यवहार और आत्म–संरक्षण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए। किन्तु यदि परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि आत्म–संरक्षण के आवरण में अभियुक्त ने वास्तव में मूल आक्रांता पर हमला किया, जबकि आशंका समाप्त हो चुकी थी, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का दावा अस्वीकृत किया जा सकता है।"

यदि प्रतिरक्षण सिद्ध हो जाता है, तो अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र है, अन्यथा उसे हत्या के लिए दोषी ठहराया जाएगा। परंतु यदि अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया हो, तो उसे भारतीय दंड संहिता की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धारा 304 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाएगा। किन्तु जहाँ अभियुक्त स्वयं हमलावर हो, वहाँ आत्मरक्षा का अधिकार नहीं लिया जा सकता।

उपरोक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में अब हमें वर्तमान वाद में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करनी होगी।

गवाह मनसाय (अ.सा.–1), जो कि आहत साक्षी है, ने 14–06–1996 को रात्रि 22:30 बजे मर्ग सूचना (प्रदर्श पी–2) थाना बागबहार में दी, जिसमें उसने उल्लेख किया कि उसके और सुखराम के बीच ज़मीन का विवाद चल रहा है। उसी दिन सुखराम अपने खेत में धान बो रहा था, तब यह सोचकर कि वह अपने खेत में हल चलाकर धान न बोए, वह खेत देखने गया। उसने सुखराम को धान न बोने के लिए कहा, जिस पर गणेश, बुना, अग्नि और सुखराम ने कुल्हाड़ी से हमला करना शुरू कर दिया। जब भगतराम, सोभा और हीरालाल बीच–बचाव करने आए, तो गणेश ने कुल्हाड़ी से हीरालाल पर वार किया, जो बाएँ बाजू के नीचे पीठ की ओर लगा, जिससे हीरालाल की मृत्यु हो गई। मनसाय ने अपने न्यायालीन कथन में कहा कि शुक्रवार को जब वह कृषि भूमि पर गया, उस समय गणेशराम ने हीरालाल पर कुल्हाड़ी से वार किया, जो पीठ के बाएँ हिस्से में लगा। गणेशराम ने उसके (मनसाय) के पीठ पर भी वार किया, जिससे वह गिर गया। जब उसका बेटा भगतराम आया, तब गणेशराम ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया और बुधनाथ ने लाठी से प्रहार किया । इसके बाद जब सोभाराम आया, तो उसे भी कुल्हाड़ी से दाएँ हाथ पर मारा गया और जब उसका भाई हीरालाल वहाँ पहुँचा, तो आरोपी बुधनाथ ने लाठी से उसके सिर पर वार किया, जिससे वह गिर पड़ा और आरोपी गणेश ने कुल्हाड़ी से उसकी पीठ के बाएँ हिस्से पर वार किया। हीरालाल की चोटों से मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षण में मनसाय (अ. सा.–1) ने कहा कि यह सही है कि वह उस कृषि भूमि की खेती कर रहा है, जो उसे बँटवारे में उसके हिस्से में आई है। सुखराम को बँटवारे में कितनी भूमि मिली, यह उसे नहीं पता। यह गलत है कि सुखराम ने धरमजयगढ़ न्यायालय में कोई बँटवारे का वाद किया है। यह भी गलत है कि उनके विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरमजयगढ़ की न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 323 व 325 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत कोई मामला लंबित है। आगे प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि उसके बेटे ने सुखराम पर हमला नहीं किया, क्योंकि सुखराम घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। अग्निबाई खेत में मौजूद थी और उसके सिर पर कुल्हाड़ी से चोट लगी थी, पर उसे यह नहीं पता कि उसे यह चोट कैसे और किसने पहुँचाई।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भगतराम (अ.सा.–2) ने अपने बयान में कहा कि गणेश, अग्निबाई, बुधराम और बुधनाथ उनके खेत की जुताई कर रहे थे। उनके पिता (मनसाय – अ.सा.–1) वहाँ गए, तब आरोपी बुधनाथ और गणेश ने उनके पिता पर कुल्हाड़ी से हमला किया। गणेश ने उनकी पीठ पर कुल्हाड़ी से वार किया। जब वह, उसका भाई सोभा और हीरालाल वहाँ पहुँचे, तो आरोपियों ने हीरालाल पर हमला किया। बुधनाथ ने लाठी से हीरालाल की पीठ पर वार किया, जिससे वह गिर गया और गणेश ने हीरालाल पर कुल्हाड़ी से वार किया। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि यह सही है कि गणेश और बुधनाथ अपने खेत की जुताई कर रहे थे, सुखराम अपने खेत में था और उस समय तक वह खुद जुताई शुरू नहीं कर सका था। अग्निबाई भी खेत में मौजूद थी। यह सही है कि उनका और आरोपियों का ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। उसने आगे कहा कि सुखराम और अग्निबाई को कोई चोट लगी या नहीं, यह उसे नहीं मालूम। यह गलत है कि उसके, उसके पिता और भाई के खिलाफ कोई दाण्डिक मामला विचाराधीन है, और साथ ही उसने कहा कि आरोपियों ने उन्हें झूठा फँसाया है। उसने सुखराम का टूटा हुआ हाथ और सिर नहीं देखा। क्या अघ्निबाई को सिर में चोट आई थी और वह किसने पाहुंचाई, यह वह नहीं जानता, उसने गणेश के सिर और शरीर पर कोई चोट नहीं देखी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शोभाराम उर्फ़ लिली (अ.सा.–3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि गणेश ने उसके पिता मनसाय पर हमला किया और जब भगत वहाँ गया, तो गणेश ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया और फिर गणेशराम ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया। इसके बाद जब हीरालाल वहाँ पहुँचा, तो गणेशराम ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया। जब गणेश ने उस (अ.सा–3) पर हमला किया, तो वह भाग गया। बुधनाथ ने हीरालाल पर लाठी से हमला किया। प्रतिपरीक्षण के दौरान, अनुच्छेद 2 में उसने कहा है कि उनके और अभियुक्तों के बीच कोई विवाद नहीं था, अभियुक्तगण अपने ही खेत को जोत रहे थे और उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष के खेत को नहीं जोता था। उन्होंने अभियुक्तों को खेत जोतने से रोकने की कोशिश नहीं की थी। यह सही है कि सुखराम के हाथ और सिर फुट गए थे। अघ्निबाई का सिर भी फूटा था । गणेशराम और बुधनाथ को चोट आई थी या नहीं, यह वह नहीं जानता। अभियुक्तों को चोट कैसे लगी, यह वह नहीं जानता। उनके खिलाफ धरमजयगढ़ न्यायालय में कोई मामला लंबित है या नहीं, यह वह नहीं जानता।

अतः भगतराम (अ.सा.–2) और शोभाराम (अ.सा.–3) ने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण अपने ही खेत को जोत रहे थे और उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष की भूमि को नहीं

जोता था। अभियुक्त पक्ष पहले से ही खेत में उपस्थित था, सबसे पहले मनसाय और अन्य अभियुक्त (शिकायतकर्ता पक्ष) वहाँ गए और उसी क्रम में अभियुक्त सुखराम और अग्निबाई को चोट आई। इस तथ्य को इन दोनों गवाहों (अ.सा.–2 और अ.सा.–3) ने स्वीकार किया है।

शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध दायर आरोपपत्र (प्रदर्श डी–1) की प्रति का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों को चोटें आई थीं और उनकी चोटों की रिपोर्ट भी दर्ज है। यहाँ तक कि अभियुक्त पक्ष द्वारा उसी दिन दर्ज कराई गई रिपोर्ट (प्रदर्श डी–6), जो थाना बागबहार में क्रमांक 381 पर दर्ज है, में उल्लेख है कि शिकायतकर्ता पक्ष ने अभियुक्त पक्ष पर हमला किया और उन्हें चोटें आईं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त पक्ष को केवल साधारण चोटें आई हों। सुखराम को हड्डी में फ्रैक्चर हुआ, अग्निबाई को सिर में चोट आई और अपीलकर्ता क्रमांक 1 गणेशराम को भी चोटें आईं जो कि साधारण प्रकृति की थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अजय शंकर त्रिपाठी (अ.सा.–11), उपनिरीक्षक, ने भी यह कहा है कि सुखराम को फ्रैक्चर की चोट आई थी। यहाँ तक कि डॉ. के.डी. पासवान (अ.सा.–4), जिन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष का परीक्षण किया था, उन्होंने अपनी गवाही के अनुच्छेद 6 में कहा है कि उन्होंने बुधनाथ, गणेशराम, सुखराम एवं अघनीबाई की चोटों की जाँच की थी। घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी.–18) अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था जिसमें घटनास्थल को क्रमांक–1 के रूप में दिखाया गया है, जहाँ सुखराम का खेत दर्शाया गया है और जिस पर मनसाय ने धान की बुआई की थी।

अतः, उपर्युक्त साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रतिपरीक्षण से यह तथ्य सामने आता है कि आरोपी पक्ष शिकायतकर्ता पक्ष के खेत में हल नहीं चला रहे थे, बल्कि मनसाय एवं शिकायतकर्ता पक्ष के अन्य लोग खेत में पहले से उपस्थित आरोपी पक्ष के पीछे गए और वहीं झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आईं। यहाँ तक कि सुखराम, अघनीबाई, गणेशराम और अन्य आरोपी व्यक्तियों को भी चोटें आईं। गणेशराम को भी चोटें आईं। इन परिस्थितियों में, उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, गणेशराम द्वारा हीरालाल पर किया गया हमला प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत किया गया था।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या गणेशराम ने हीरालाल पर कुल्हाड़ी से उसके महत्वपूर्ण अंगों पर हमला करके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाओं को पार किया? साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि गणेशराम ने हीरालाल पर कुल्हाड़ी से हमला किया था और प्रतिपरीक्षण में यह बात सामने नहीं

आई कि हीरालाल ने किसी भी रूप में गणेशराम पर हमला किया हो। बचाव पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि शिकायतकर्ता पक्ष ने किसी प्रकार के खतरनाक हथियार जैसे कुल्हाड़ी से आरोपी पक्ष पर हमला किया हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, आरोपी गणेशराम को केवल हमले को रोकने या उसकी आशंका को टालने तक का अधिकार था, जो कि शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से हो सकता था। साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि जब हीरालाल गिर गया था और उस स्थिति में यह कोई उचित आशंका नहीं थी कि वह लेटी हुई अवस्था में आरोपी पक्ष पर हमला करेगा, उस समय गणेशराम ने उसके पीठ पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जो उस समय स्वयं को या अपने पक्ष को बचाने के लिए आवश्यक नहीं था। अतः यह स्पष्ट है कि आरोपी गणेशराम ने हीरालाल पर उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर कुल्हाड़ी से हमला करके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा का अतिक्रमण किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिस्थितियों को देखते हुए, गणेश राम पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि उसने ऐसी घातक चोट पहुंचाने का इरादा किया था, जो मृत्यु का कारण बन सकती थी, भले ही उसका सीधा आशय मनसाय की हत्या करना न हो । अतः अभियुक्त/अपीलकर्ता क्रमांक 1 गणेश राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के खंड–। के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित होगा। जहां तक गणेश राम द्वारा मनसाय, सोभाराम एवं भगतराम को पहुंचाई गई अन्य चोटों की बात है, जिनके लिए उस पर धारा 325 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध करने का आरोप है, उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा से बाहर नहीं माना जा सकता। इसलिए धारा 325 के अंतर्गत उसका दोषसिद्ध उचित आधार और विधिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, और इसे कायम नहीं रखा जा सकता।

अब अभियुक्त/अपीलकर्ता क्रमांक 2 बुधनाथ की भूमिका पर आते हैं। जैसा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों से सामने आया है, बुधनाथ ने हीरालाल पर लाठी से प्रहार किया, जिससे वह गिर पड़ा और इसके पश्चात गणेश राम ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। डॉ. जे. मिंज (अ.सा.–9) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, हीरालाल के शरीर पर केवल एक ही कटा हुआ घाव पाया गया, जो पीठ के दाहिने हिस्से में 3" x 1/2" का था और हड्डी की गहराई तक था। इस चोट के अतिरिक्त मृतक के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं पाई गई। इस चोट के कारण मृतक की 5 वीं, 6 वीं एवं 7 वीं पसलियां टूट गई थीं और रक्त वाहिकाएं कट गई थीं। प्रतिपरीक्षण में डॉ. मिंज ने कहा कि मृतक के शरीर पर जो चोट पाई गई, वह लाठी से नहीं आ सकती थी, जबकि लाठी

अभियुक्त/अपीलकर्ता क्रमांक 2 बुधनाथ से जब्त की गई थी। अतः इस चिकित्सकीय साक्ष्य से अभियोजन का यह कथन कि बुधनाथ ने मृतक हीरालाल पर लाठी से प्रहार किया था, असत्य सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, मर्ग सूचना (प्रदर्श पी.–2) में यह उल्लेख है कि बुधनाथ ने मनसाय पर कुल्हाड़ी से वार किया, परंतु उसकी निशानदेही पर कोई कुल्हाड़ी बरामद नहीं की गई और इस रिपोर्ट में यह भी नहीं कहा गया कि बुधनाथ ने किसी भी प्रकार से हीरालाल पर हमला किया। मनसाय (अ.सा.–1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह नहीं कहा कि बुधनाथ ने उस पर हमला किया, बल्कि कहा कि बुधनाथ ने हीरालाल पर हमला किया, जबकि यह बात प्रथम सूचना प्रतिवेदन में नहीं है और चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार हीरालाल के शरीर पर लाठी से आई चोट नहीं पाई गई। मनसाय ने आगे यह भी कहा कि बुधनाथ ने भगतराम पर लाठी से प्रहार किया, जबकि भगतराम (अ.सा.–2) ने यह नहीं कहा कि बुधनाथ ने उस पर लाठी से हमला किया। इसी प्रकार, सोभाराम (अ.सा.–3) ने यह नहीं कहा कि बुधनाथ ने उस पर हमला किया, बल्कि यह कहा कि बुधनाथ ने हीरालाल पर लाठी से हमला किया, जबकि यह कथन सही नहीं पाया गया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, उपर्युक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आरोपी बुधनाथ की घायल व्यक्तियों अर्थात् मनसाय, भगतराम, शोभाराम अथवा मृतक हीरालाल पर किसी प्रकार के प्रहार में संलिप्तता स्थापित नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष आरोपी बुधनाथ के विरुद्ध अपराध को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः, उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 325 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि न्यायोचित एवं ठोस साक्ष्य पर आधारित नहीं होने के कारण स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

फलस्वरूपः

1. अभियुक्त/अपीलकर्ता क्रमांक 2 बुधनाथ की अपील सफल होती है एवं स्वीकार की जाती है। उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 325 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है तथा उपरोक्त धाराओं के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि वह किसी अन्य प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं है, तो उन्हे तत्काल रिहा किया जाए।
2. अभियुक्त/अपीलकर्ता क्रमांक 1 गणेश राम की अपील आंशिक रूप से सफल होती है एवं स्वीकार की जाती है । उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 325

सहपठित धारा 34 के अंतर्गत पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है तथा उक्त धाराओं के आरोपों से उसे दोषमुक्त किया जाता है। इसके स्थान पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के खंड–1 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है एवं उसे नौ वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाता है। यह कथन किया गया है कि अभियुक्त जून 1996 से अभिरक्षा में है, इस प्रकार वह उपर्युक्त दंडावधि को पूर्ण कर चुका है, जिसे पैनल अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित नहीं किया गया है। यदि वह किसी अन्य प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

उपरोक्त आदेश के आलोक में, विविध दांडिक याचिका क्रमांक 1633/2004 निराकृत की जाती है ।

पक्षकार इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

श्री एल. सी. भादू न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश

सही/–

श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Shikhar Bakhtiyar